



सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Falgun, 1941(S)

No. 147

Ranchi, Wednesday, 11th March, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 29/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 15 Dated- 11th March, 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating there to, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient, provided to a body corporate.	Any person, other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging state tax at the rate of 6 per cent. to the service recipient	Any body corporate located in the taxable territory."

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of January, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Sukhdev Singh,
Additional Chief Secretary

Note: -The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2019 - State Tax (Rate), dated the 01st November, 2019 *vide* S.O. No. 90, dated the 01st November, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 29/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 15 दिनांक 11 मार्च, 2020-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15	किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसी मोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया हो और जहां ईंधन का खर्च भी सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो ।	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और और सेवा के प्राप्तकर्ता से 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर वसूल करने वाली इनवायस जारी न करता हो ।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित हो ।”

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,

अपर मुख्य सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2019-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 01 नवम्बर, 2019, एस. ओ. सं. 90, दिनांक 01 नवम्बर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।